न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2024 / 75 दर्ज दिनांक : 25.01.2024

1. अजीत सिंह पुत्र श्री शिवदयाल सिंह उर्फ श्योलाल सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)

–अपीलांट–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)
2. गोविन्द सिंह पुत्र श्री शिवदयाल सिंह उर्फ श्योलाल सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजबाला पत्नि श्री शिवदयाल सिंह उर्फ श्योलाल सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. हजारी सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. छोटु सिंह पुत्र श्री हरि सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. जय सिंह पुत्र श्री हरि सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. मोहन कंवर पुत्री श्री हरि सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. सायर कंवर पुत्री श्री हरि सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. इन्द्र कंवर पत्नी ब्रिजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. इन्द्र कंवर पत्नी किशन सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. कान कंवर पत्नी भीसन सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. जय सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. पृथ्वी सिंह पुत्र खम सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. मंगेज कंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. करणी सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. महावीर सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. रिसाल कंवर पत्नी पर्वत सिंह जाति राजपूत निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. विमला देवी पत्नी राजकुमार जाति कुम्हार निवासी घन्टेल तहसील व जिला चूरू (राज.)

–रेस्पोडेन्ट–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री शिव सिंह राठौड़
[illegible] संख्या 6 शिवगौतम सोलंकी
[illegible]वादी संख्या 18 श्री हनुमानसिंह राठौड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अन्तर्गत धारा 75
[illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधि[illegible] 1956

: निर्णय :

निर्णय दिनांक : 06.01.2026

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि निर्णय जैर अपील खिलाफ कायदा, खिलाफ वाकेयात मिशल एवं नियम एवं न्याय विरूद्ध होने से कायम रखने योग्य नहीं है बल्कि खारिज किये जाने काबिल हैं।
2. अपीलांट की विरासतन खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1289/86, 1290/86, 793, 977/802 वाके रोही घन्टेल तहसील व जिला चरू राज. में चली आ रही है जिसके पुराने खसरा संख्या 802/1, 86, 793 वाके रोही घन्टेल तहसील व जिला चूरू राज. में चले आ रहे है। प्रमाण–स्वरूप जमाबंदी संवत 2070–73 व प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संलग्न अपील की जा रही है।
3. अपीलांट के परदादा चतरसिंह के स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक उतराधिकारी श्रीमती सुगन कंवर बेवा चतर सिंह, भंवर सिंह पुत्र चतर सिंह, हरि सिंह पुत्र चतर सिंह थे जिनमें से भंवर सिंह का स्वर्गवास सन् 1979 में चुका था जिस कारण उनके विधिक उतराधिकारी राज कंवर बेवाह भंवर सिंह, श्योलाल सिंह उर्फ श्योपाल सिंह, हजारी सिंह पिसरान भंवरसिंह का नाम उपरोक्त पैरा संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि में विरासतन इर्ज हुआ प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2050 संलग्न अपील की जा रही है जिसके पश्चात अपीलांट की दादी श्रीमती सुगन कंवर का स्वर्गवास 1988 में हुआ जिस समय पैरा संख्या 01 वर्णित कृषि भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 02 ता 04 के पिता व दादा भंवर सिंह के वारिसान का 512 हिस्सा ब.हि.ब. व रेस्पोडेंट संख्या 05 ता 08 के पिता हरि सिंह वल्द चतुर सिंह उर्फ चतर सिंह का 336 हिस्सा तथा सुगन कंवर बेवाह चतर सिंह जो अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 08 की दादीजी थी जिनका 512 हिस्सा चला आ रहा था।
4. अपीलांट की दादी सुगन कंवर के स्वर्गवास पर सुगन कंवर के नाम से चली आ रही 512 हिस्सा कृषि भूमि पर विरासतन इंतकाल दर्ज किये जाने हेतु आवेदन किया गया जिसे अधीनस्त न्यायालय द्वारा गलत रूप से नामान्तरण संख्या 306 रेस्पोडेंट संख्या 5 ता 8 के पिता हरि सिंह वल्द पुत्र चतर सिंह उर्फ चतुर सिंह अकेले के नाम दर्ज कर सुगन कंवर का 512 हिस्सा हरि सिंह के दर्ज कर हरि सिंह का 848 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि सुगन कंवर बेवा चतर सिंह का 512 हिस्सा हरि सिंह व भंवर सिंह पुत्रगण चतर सिंह उर्फ चतुर सिंह के वारिसान हरी सिंह व भंवर सिंह के नाम ब.हि.ब. दर्ज किया जाकर राजकंवर बेवाह भंवर सिंह, शिवदयाल सिंह उर्फ श्योलाल सिंह, हजारी सिंह पुत्रगण भंवर सिंह के 768 हिस्सा व हरी सिंह वल्द चतर सिंह उर्फ चतुर सिंह के 592 हिस्सा दर्ज किया जाना था जिस अहम तथ्य की ओर गोर ना कर हल्का पटवारी व आइएलआर द्वारा बिना किसी जांच के दर्ज किये गये नामातंरण को स्वीकृत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम कानूनी भूल की गई है जिसे जैर अपील अपास्त किया जावे। चतर सिंह उर्फ चतुर सिंह का वंश वृक्ष निम्न प्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested

5. विरासतन इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश होने पर हल्का पटवारी द्वारा बिना जांच किये सुगन कंवर बैवा चतर सिंह का विधिक उत्तराधिकारी हरी सिंह एक मात्र को मानकर विरासतन इंतकाल तस्दीक हेतु आईएलआर के समक्ष पेश किया गया जिसे आईएलआर द्वारा बिना जांच किये तस्दीक कर ग्राम पंचायत के समक्ष निर्णय हेतु पेश कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय/ग्राम पंचायत घण्टेल, चूरू द्वारा भी बिना किसी प्रकार की जांच किये दिनांक 17.04.1990 को स्वीकृत कर सुगन कंवर बेवा चतर सिंह के पुत्र भंवर सिंह के विधिक अधिकारियों को उनके हक हिस्से से वंचित कर केवल मात्र हरी सिंह वल्द चतर सिंह के नाम नामातंरण तस्दीक कर दिया प्रमाण स्वरूप इंतकाल आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न अपील है जो जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है अपास्त किया जावे।
6. हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के बाद जब नामान्तरण तस्दीक बाबत ग्राम पंचायत घण्टेल, प.स. चूरू के समक्ष रखा गया तो ग्राम पंचायत घण्टेल प.स. चूरू ने दिनांक 17.04.1990 को इंतकाल संख्या 306 को स्वीकृत कर उक्त रिपोर्ट के आधार इंतकाल दर्ज कर दिया। ग्राम पंचायत घण्टेल, प.स. चूरू के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है जो जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है अपास्त किया जावे।
7. अपीलांट के पड़दादा का स्वर्गवास 1979 में हो चुका था तथा सन् 1988 में अपीलांट के पड़दादी सुगन कंवर का स्वर्गवास हो चुका जिसके बाद अपीलांटके पिता शिवदयाल सिंह का सन 2020 में स्वर्गवास हो गया अपीलांट ने जब अपना होश सम्भाला तो भारतीय सैना में नोकरी करने लगा। जिस कारण अपीलांट को राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई इस अहम कानूनी भूल का ज्ञान नहीं रहा जब अपीलांट को उक्त त्रुटी का ज्ञान तो अपीलांट द्वारा अपने कार्यस्थल से पत्र व्यवहार कर उक्त कानूनी त्रुटी का सुधार करवाना चाहा जो राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं किये जाने के कारण अन्त में दिनांक 15.12.2023 को विरासतन नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त अपीलांट द्वारा वकील से सम्पर्क किया तथा उसके तुरन्त पश्चात हर प्रकार से यह अपील अन्दर मियाद पेश करवाई जा रही है।
8. ग्राम पंचायत घण्टेल पंचायत समिति, चूरू न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय को उक्त अपील सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा अपील उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।
9. अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत घण्टेल पंचायत समिति, चूरू द्वारा पारित इंतकाल संख्या 306 का आदेश दिनांकित 17.04.1990 को खारिज फरमाया जाकर इंतकाल तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत घण्टेल पंचायत समिति, चूरू को आदेशित किया जावे।

10. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 18 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान सिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 व 7 ता 17 विधिवत तामिल बाद भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली में सीधे बहस सुनी गई।
11. अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत घण्टेल पंचायत समिति, चूरू द्वारा पारित इंतकाल संख्या 306 का आदेश दिनांकित 17.04.1990 को खारिज फरमाया जाकर इंतकाल तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत घण्टेल पंचायत समिति, चूरू को आदेशित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested

12. मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं प्रकरण की पत्रावली, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, उपलब्ध दस्तावेजों तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत घण्टेल, पंचायत समिति चूरू द्वारा दिनांक 17.04.1990 को पारित नामान्तरण संख्या 306 में स्व. सुगन कंवर बेवा चतर सिंह के देहावसान उपरान्त विरासतन नामान्तरण करते समय उनके सभी विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा बिना समुचित जांच एवं सत्यापन के केवल एक ही उत्तराधिकारी के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया, जो कि राजस्व कानून के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यह भी स्पष्ट है कि हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण किये बिना तथा वंशावली एवं वैधानिक हिस्सों का निर्धारण किये बिना नामान्तरण को स्वीकृत किया गया, जो कि विधिसम्मत नहीं है। न्यायालय यह मानता है कि ग्राम पंचायत घण्टेल, पंचायत समिति चूरू द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 17.04.1990 कानूनन त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अतः

आदेश दिया जाता है कि

ग्राम पंचायत घण्टेल, पंचायत समिति चूरू द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 17.04.1990 को निरस्त (खारिज) किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को आदेशित किया जाता है कि स्व. सुगन कंवर बेवा चतर सिंह के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए विधिवत जांच, वंशावली परीक्षण एवं अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात नियमानुसार एवं हिस्सों का सही निर्धारण कर विरासतन नामान्तरण की नवीन कार्यवाही संपादित करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:47 IST
Reason: SelfAttested